भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1578

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2021 को दिया जाना है

कोयला खनन

1578.श्री बी.एन. बचेगौडा:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन खोल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब से खोला गया है;

(ग) क्या वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) विश्व की सबसे बड़ी खनिक है जिसे अंतिम उपयोगकर्ताओं को कोयला बेचने की अनुमति दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीआईएल अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया है जिसके कारण निजी क्षेत्र हेतु वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति दी गई है/खोल दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ड.) विभिन्न देशों से भारत में कोयले का कितना प्रतिशत आयात हो रहा है; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी क्षेत्र के लिए कोयला खदानों को खोलने की प्रक्रिया पारदर्शी हो, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री</u>

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : जी, हां।

(ख) : राजस्व साझेदारी आधार पर कोयला/लिग्नाइट की बिक्री के लिए कोयला और लिग्नाइट खानों/ब्लॉकों की नीलामी की पद्धति को सीसीईए द्वारा दिनांक 20.05.2020 को अनुमोदित

किया गया था और दिनांक 28.05.2020 को आदेश जारी किया गया था। इस पद्धति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- राजस्व साझेदारी कार्य तंत्र पर आधारित। 4 % पर न्यूनतम प्रतिशत।
- पूर्णत: अन्वेषित और आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला ब्लॉकों के लिए लागू।
- अग्रिम राशि अनुमानित भू-वैज्ञानिक भंडारों के मूल्य पर आधारित होती है।
- सफल बोलीदाता उद्धृत राजस्व साझेदारी प्रतिशत, कोयले की कुल मात्रा और अनुमानित अथवा वास्तविक मूल्य, जो भी अधिक हो, पर आधारित मासिक राजस्व शेयर का भुगतान करते हैं।
- कोयले के तीव्र उत्पादन, गैसीकरण और द्रवीकरण के लिए प्रोत्साहन देना।
- सीबीएम के दोहन की अनुमति दी जाती है।
- कोयले की बिक्री और/अथवा उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। कोयला उत्पादन अनुसूची में अधिक लचीलापन होता है।

(ग) और (घ) : कोयला उत्पादन के संदर्भ में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। सीआईएल द्विपक्षीय ईंधन आपूर्ति करारों और समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अपने संबद्ध विद्युत और गैर-विद्युत उपभोक्ताओं को कोयला बेचती है। सीआईएल विभिन्न ई-नीलामी स्कीमों के माध्यम से व्यापारियों सहित अन्त्य उपभोक्ताओं को भी कोयला बेचती है।

(ङ.) : वर्ष 2020-21 के दौरान कोयले की वास्तविक मांग के 23.7 प्रतिशत कोयले का आयात हुआ है।

(च) : कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 [सीएमएसपी अधिनियम] और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम] के प्रावधानों के अनुसार, कोयला खानों का आबंटन नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्र की कंपनियों को किया जाता है। कोयला खानों की नीलामी ई-प्लेटफॉर्म की सुरक्षा जांच करने के बाद ई-प्लेटफार्म पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, कोई पूर्व आबंटिती जो कोयला ब्लॉक आबंटन से संबंधित अपराध का दोषी है और जिसे तीन वर्ष से अधिक के कारावास की सजा हुई है, नीलामी में भाग लेने का पात्र नहीं है।

*****